राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या — 136 / 2016
जीसीएमएस नम्बर — 2019 / 01126

1. माया देवी पत्नी कश्मीरीलाल जाति खाती निवासी बुहाना।

..........वादी

बनाम

1. धीसाराम पुत्र
2. सहीराम पुत्र
3. कृष्ण कुमार पुत्र
4. गीता पुत्री

(1–4) भैरूराम जाति खाती निवासी बुहाना

5. संतोष पत्नी भींवाराम
6. रतनलाल पुत्र भींवाराम
7. महेन्द्र पुत्र
8. राजू पुत्र
9. अनिल पुत्र
10. प्रेम पुत्री
11. बिमला पुत्री
12. सरोज पुत्री
13. मीरा पुत्री
14. मनोहरी पुत्री

(7–14) मनोहरलाल जाति ब्राहमण निवासी बुहाना तहसील बुहाना।

15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.

..........प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

दावा बाबत —खाता विभाजन

—:: निर्णय ::—

दिनांक :— 20.12.2021

वाके बुहाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 1635 रकबा 2.21 है. भूमि में वादिया के 1/25 दर हिस्सा 1.00 है. का खाता विभाजन कर लगान अलग कायम किया जावे। खाता विभाजन नही होने से कृषि सुधार ऋण लेने, संपरिवर्तन कराने में परेशानी होती है। उपरोक्त विवादित भूमि का अपने–अपने हिस्से के अनुसार बाहमी बंटवारा कर रखा है। तथा उसी अनुसार अपने–अपने हिस्से की भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त चले आ [illegible] राजस्थान काश्ताकरी अधिनियम में वाद विभाजन के लिए कोई मियाद निर्धारित नहीं [illegible] भी यह दावा अन्दर मियाद है। वादीगण के हिस्से की भूमि का खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। याचित अनुतोष दिलाया [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.02.16 15:42:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला-झुंझुनूं (राज.)

(2) दावा दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। सभी प्रतिवादीगण की सम्यक् तामिल हुई। सभी प्रतिवादीगण की सम्यक् तामिल के बावजुद अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

(3). वादी की ओर से साक्ष्य दस्तावेज में नकल जमाबंदी सम्वत् 2070—73, पेश किए गए।

(4). दावा खाता एवं लगान विभाजन बाबत दिनांक 27.04.2017 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार बुहाना को कुर्रेजात प्रस्ताव हेतु लिखा गया। तहसीलदार बुहाना से कुर्रेजात रिपॉर्ट दिनांक 19.09.2017 को प्राप्त हुई ।

(5). बहस सुनी गई।

(6). पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। कुर्रेजात रिर्पोट निर्देशानुसार प्राप्त हुई है। अतः न्यायालय मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट वाद वादी अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

—:: आदेश ::—

न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन को डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके बुहाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 1635 रकबा 2.21 है. भूमि में वादिया के 1/25 दर हिस्सा 1.00 है. भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ—1 लगायत अ—2" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ—1 लगायत अ—2" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग—अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग—अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव ""अ—1 लगायत अ—2" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी, बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

निर्णय आज दिनांक **20-12-2021** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.02.16 15:42:22 IST
Reason: SelfAttested.

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला-झुंझुनूं (राज.)

मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पिठासीन अधिकारी:– सुनील कुमार चौहान आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं:– 1136/2016
निर्णय दिनांक:– 20.12.20211

माया देवी **बनाम** धीसाराम आदि
दावा बाबत– खाता विभाजन

वादी की ओर से **श्री नरेश भारद्वाज एडवोकेट** की उपस्थिती मे व प्रतिवादीगण की अनुपस्थिती में इस वाद में आज तारीख **20.12.2021** को **श्री सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और प्राथमिक डिक्री दी जाती है कि–

"न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन को डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके बुहाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 1635 रकबा 2.21 है. भूमि में वादिया के 1/25 दर हिस्सा 1.00 है. भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–2" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–2" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "'अ–1 लगायत अ–2" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **20.12.2021** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,बुहाना

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला-झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.02.16 15:42:22 IST
Reason: SelfAttested